कार्यालय कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छ.ग.

:: **आदेश** ::

क्रमांक / 4037 / जि.पं. / स्थापना / 2024 कबीरधाम, दिनांकः 17/09 / 2024

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला का पत्र क्रमांक 3744 / स्था. / ज.पं. / 2024–25 दिनांक 17.09.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर श्री नरेन्द्र कुमार राउतकर सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत बोडला को राशि 100000 / – रूपये (शब्दों में–एक लाख रूपये) प्रार्थी से रिश्वत लेने के मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 13.09.2024 को जनपद पंचायत बोड़ला से गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर अपने अभिरक्षा में रखे जाने एवं गिरफ्तारी अवधि 48 घण्टे से अधिक होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 निलंबन नियम 9 (2) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं। निलंबन अवधि में संबंधित श्री राउतकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
जिला कबीरधाम,छ.ग.

पृ.क्रमांक / 4038 / जि.पं. / स्थापना / 2024 कबीरधाम, दिनांकः 17/09 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, भू–तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम।
5. निरीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, थाना रायपुर छ.ग.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बोड़ला को सूचनार्थ। आप संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण तथा व्यक्तिगत एवं अभिलेखी साक्ष्य तैयार कर 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें।
7. सम्बंधित श्री नरेन्द्र कुमार राउतकर सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत बोडला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला कबीरधाम,छ.ग.